भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 9
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

दुर्लभ मृदा खनिज

9. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भारत वर्तमान में दुर्लभ खनिज प्राप्त करने केलिए चीन पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी स्वयं की दुर्लभ खनिज मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) नहीं। भारत समुद्र तटीय बालू खनिज (बीएसएम) में मौजूद विरल मृदा खनिजों की प्राप्ति के लिए चीन पर निर्भर नहीं है। यह भारत में विरल मृदा (आरई) का प्रमुख अयस्क है। बीएसएम अयस्क में निर्दिष्ट पदार्थ मोनाज़ाइट होता है, जो यूरेनियम और थोरियम युक्त विरल मृदा तत्व का एक फॉस्फेट खनिज है।

(ग) से (ङ) हां। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सावर्जनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (आईआरईएल), भारत में विरल मृदा युक्त खनिज मोनाज़ाइट से उच्च शुद्ध विरल मृदा ऑक्साइड के रूप में विरल मृदा तत्वों का उत्पादन करता है। आईआरईएल तीन स्थानों पर प्रचालनरत है, जहां खनिज बालू के एकीकृत खनन और प्रसंस्करण तथा विरल मृदा के निष्कर्षण और शोधन की सुविधा है। देश में आरई मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए, निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :

सामरिक क्षेत्र हेतु, समेरियम कोबाल्ट चुंबक के उत्पादन के लिए वैज़ाग में एक विरल मृदा स्थायी चुंबक संयंत्र प्रचालित किया गया है।

आईआरईएल द्वारा देश में आरई मूल्य श्रृंखला के विकास के भाग के अंतर्गत भोपाल स्थित विरल मृदा और टाइटेनियम थीम पार्क में लैंथनम, सेरियम और नियोडिमियम धातुओं के उत्पादन के लिए लघु संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

आईआरईएल ने उपयोग अवधि पूर्ण चुम्बकों से चुंबकीय विरल मृदा तत्वों की पुनर्प्राप्ति के लिए विरल मृदा टाइटेनियम थीम पार्क, भोपाल में एक विरल मृदा तत्व पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26 नवंबर, 2025 को सिंटरित विरल मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली देश में 6,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता स्थापित करने संबंधी योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस योजना के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पांच लाभार्थियों की परिकल्पना की गई है। एक पारदर्शी न्यूनतम लागत प्रणाली (एल.सी.एस.) अपनाई गई है, जिसमें दो-लिफाफे की प्रक्रिया शामिल है, अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। बिक्री-आधारित प्रोत्साहन रुपए 6,450 करोड़ और पूंजीगत सब्सिडी रुपए 750 करोड़ योजना अवधि के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में आरईपीएम के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही रोजगार सृजन और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में भी योगदान मिल सकेगा।

*****